



خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی، لکھنؤ

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University

सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ-226013

Website : www.uafulucknow.ac.in, E-mail : uafulucknow@gmail.com

Phones : 0522-2774041-45, Fax : 0522-2774046

Ref : 29/30.370410.वि.वि./2016/19/10

Date : 18-04-2016

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 6वीं बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2016 का कार्यवृत्त।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 6वीं बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अतिथि गृह में आयोजित हुई।

क्र०सं०

नाम

पद

1. प्रो० ख़ान मसऊद अहमद, कुलपति
2. मा० न्यायमूर्ति श्री एस०सी० वर्मा
3. प्रो० वी०डी० मिश्रा
4. श्री योगेश मोहनजी गुप्ता
5. प्रो० ज़ाहिद हुसैन खान
6. श्री अजमल हुसैन जैदी
7. श्री भानु प्रताप सिंह, कुलसचिव

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

पदेन सचिव

बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं कार्यपरिषद द्वारा निम्नलिखित


निर्णय लिये गये :-

मद सं० 6.01

दिनांक 18 जनवरी 2016 को डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के सभागार में आयोजित कार्यपरिषद की पाँचवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय-

कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2016 को डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यपरिषद की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गयी।


कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय
लखनऊ-226013

मद सं० 6.02

मा० कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 13.06.2014 के अनुपालन में प्रकरण के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण एवं डॉ० अरविन्द कुमार सिंह के प्रत्यावेदनों का निस्तारण।

निर्णय—

कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। कार्यपरिषद द्वारा समिति की रिपोर्ट तथा डॉ० अरविन्द कुमार सिंह के प्रत्यावेदनों का अध्ययन किया गया। कार्यपरिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

The matter of Dr. Arvind Kumar Singh was discussed in the meeting of the Executive Council held on 13.04.2016. The members examined all the necessary papers submitted by Dr. Arvind Kumar Singh before the Selection Committee for the post of Associate Professor in the Department of Mass Communication and Journalism and the committee found that Dr. Singh did not fulfill the eligibility criteria as prescribed by the UGC/qualifications prescribed by First Statutes. The selection of Dr. Arvind Kumar Singh and putting him on wait list by the Selection Committee/ Executive Council was void-ab-initio and cannot be given effect in as much as the First Statutes of the University laying down the procedure for appointment and qualifications of teachers was not notified and enforced as required under the provisions of Section 31(9) and Section 41(d) of the U.P. State Universities Act-1973.

As per the UGC norms, the eligibility for Associate Professor is as follows:

11.13.01. General Eligibility Criteria for an Associate Professor / Deputy Librarian

- (a) Good academic record with a Ph.D. Degree in the concerned / allied / relevant disciplines.
- (b) A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).
- (c) **A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic / research position equivalent to that of Assistant Professor / Lecturer / Assistant Librarian in a University, College or Accredited Research Institution / industry excluding the period of Ph.D. research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.**
- (d) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology - mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students.
- (e) A minimum score as stipulated in the Academic performance Indicator (API) based performance Based Appraisal System (PBAS), set out in Tables I to VI of Appendix - D.

Dr. Arvind Kumar Singh did not have the desired teaching experience as required by Regulation 4.3.0 (iii) of the 2010 of UGC nor ever given a regular appointment on the post of Assistant Professor at the C.S.J.M. University, Kanpur.

His appointment as Lecturer at no point of time was on regular basis and his period of teaching experience on contractual basis will not make him eligible for appointment.

He merely worked on contractual basis on a consolidated salary of Rs.8,000/- per month w.e.f. 16.08.2004, which was revised to Rs. 12,000/- per month w.e.f. 08.08.2007, and Rs. 19,680/- w.e.f. February, 2010 as lecturer in the C.S.J.M. University, Kanpur as per the appointment letter dated 28.07.2004. The relevant part of the appointment letter is quoted below:

"As per recommendations of the Selection Committee and Decision No. 04 of Executive Council meeting dated 09.06.2004 under Section 31(1) of Uttar Pradesh State Universities Act-1973, Mr. Arvind Kumar Singh is hereby appointed on the post of Lecturer at a consolidated salary of Rs.8,000/- (Eight Thousand) per month in the Institute of Mass Communication (SFS) as per the following conditions/restrictions. This appointment shall be governed by G.O. No. 214/70-4/2000-7(7)/94 dated February 04, 2000."

His contractual appointment on consolidated salary cannot be treated as regular appointment on the post of Lecturer to entitle him for selection on the post of Associate Professor.

मद सं० 6.03

विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

मद सं० 6.04

विश्वविद्यालय में प्राइवेट कोर्स के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा प्राइवेट कोर्स के संचालन हेतु निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अनुमति प्रदान की गयी :-

- Women;
- Urdu Medium Candidates and Candidates from the University-approved Madrasas;
- Defense personnel in Uniform; and
- Physically Handicapped.

6

मद सं0 6.05

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के कक्षों की दरों का निर्धारण।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित अतिथि गृह के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव में कतिपय संशोधन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

- कमरा आवंटन: एक कमरा हमेशा खाली रखा जायेगा।
- अतिथि गृह का शुल्क निर्धारण: विश्वविद्यालय के अतिथि से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। EC, AC, BOS के सदस्य, Extension Lecture अथवा Moderation के लिये आमंत्रित Resource Person को विश्वविद्यालय का अतिथि माना जायेगा।
- साधारण शुल्क: ₹0500/- प्रतिदिन/कमरा
- अतिथि गृह में ठहरने के लिये विश्वविद्यालय के किसी स्टाफ की संस्तुति अनिवार्य होगी।
- तीन दिनों से अधिक अवधि के लिये रुकने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति, वित्त अधिकारी अथवा कुलसचिव की अनुमति अनिवार्य होगी।

मद सं0 6.06

अन्य बिन्दु

- (1) विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण के भवन निर्माण हेतु ₹0 73.08 करोड़ की स्वीकृति।
- (2) विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण के भवन निर्माण हेतु ₹07.00 करोड़ निर्गत।
- (3) विश्वविद्यालय जिमनेजियम एवं क्लब भवन का उद्घाटन।

निर्णय—

उपरोक्त बिन्दुओं से कार्यपरिषद को अवगत कराया गया।

मद सं0 6.07

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

कार्यपरिषद द्वारा गत बैठक में निर्णय लिया था कि अगले सत्र में किसी भी कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए कम से कम 10 विद्यार्थियों को होना आवश्यक होगा।

✓

20/11/20

20/11/20

विश्वविद्यालय प्रॉसपेक्टस कमेटी द्वारा कार्यपरिषद से यह अनुरोध किया गया कि 10 विद्यार्थियों के स्थान पर 5 विद्यार्थियों के होने पर कक्षा प्रारम्भ की अनुमति प्रदान कर दी जाये।

निर्णय-

कार्यपरिषद का मत था कि विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 से और अधिक बढ़ा दी जानी चाहिये, परन्तु पूर्व निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार प्रॉसपेक्टस कमेटी के अनुरोध कि 10 विद्यार्थियों के स्थान पर 05 विद्यार्थी कर दिया जाये, को अस्वीकार करते हुए कार्यपरिषद द्वारा अपने पूर्व निर्णय को यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(भानु प्रताप सिंह)
कुलसचिव/पदेन सचिव।

संख्या: 20(1)/उ0अ0फा0वि0/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यगण।
2. प्रमुख सचिव मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी को मा0 कुलाधिपति जी के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव वित्त अधिकारी।
5. सम्बन्धित पत्रावली।
6. गार्ड फाइल।

(भानु प्रताप सिंह)
कुलसचिव/पदेन सचिव।